

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज  <b>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम 0 3 अजमेर</b>  <b>दीवानी विविध सख्या 02/2026</b>  <b>सीआईएस संख्या 02/2026</b>  <b>इण्डसईण्ड बैंक बनाम शाहरुख खान व अन्य</b></p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख  अहकाम जो इस हुक्म  की तामील में जारी हुए</p>
12.03.2026	<p>प्रार्थी बैंक की ओर से अधिकृत व्यक्ति मय अधिवक्ता श्री अवतार सिंह उप्पल उपस्थित। जिसकी पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गयी, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विद्धो करने का पेश किया गया।</p> <p>पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 13-03-2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>(नीरज गुप्ता)</b>  <b>अपर जिला न्यायाधीश,</b>  <b>क्रम-3, अजमेर</b></p>	
13.03.2026	<p>प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री अवतार सिंह उप्पल उपस्थित। गत पेशी पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विद्धो करने का पेश किया गया।</p> <p>प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में उसे रिसीवर नियुक्त किया गया है, लेकिन भरसक प्रयास के बाद भी वाहन का आधिपत्य नहीं लिया जा सका है, अतः भविष्य में वसूली की कार्यवाही के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये इस स्तर पर लोक अदालत की भावना से प्रार्थना पत्र विद्धो कर निस्तारित करने का निवेदन किया गया।</p> <p>चूंकि स्वयं प्रार्थी द्वारा इस स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं चाही गयी है। अतः बाद गौर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस स्तर पर प्रकरण जरिये विद्धो खारिज किया जाता है। पत्रावली अंतिम निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष दिनांक 14-03-2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>(नीरज गुप्ता)</b>  <b>अपर जिला न्यायाधीश,</b>  <b>क्रम-3, अजमेर</b></p>	